न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
57/अपील/2017	10.02.2017	19.07.2019

1. गजराज सिंह आ. नृसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सरसोद तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राजस्थान)
2. बृजराज सिंह आ. नृसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सरसोद तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राजस्थान)
3. भगवान सिंह आ. नृसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सरसोद तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राजस्थान) – अपीलांटस

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0) – रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 25.11.2016
नायब तहसीलदार, दबलाना
अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :–

अपीलांट की ओर से –. श्री प्रेम शंकर गुर्जर, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार।

–: निर्णय :–

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्टस ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्टस को आराजी खसरा नम्बर 563 रकबा 12 बीघा, खसरा नं. 563/636 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 563/637 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 29 बीघा 16 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम सरसोद तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत फसल जप्ती से बेदखली, पैनाल्टी 3775/– रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A 6/2

बहस अभिभाषक अपीलान्टस व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान एवं प्रक्रिया के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि में विहित किसी भी प्रावधानो की पालना नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी अवहेलना की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को कोई सूचना नहीं दी है न ही विधिक रूप से तामील करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस की तामील भी सही स्थान पर चस्पा नहीं की है एवं ना ही अपीलान्टस की प्रोपर तामील करवाई। अपीलान्ट क्र.सं. 01, 02, 03 सभ्य व्यक्ति है तथा बाहर सेवारत है। अपीलान्टस ने अपीलाधीन भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है एवं ना ही उनका भूमिं पर कब्जा है। अपीलान्टस अधीनस्थ न्यायालय में पैनाल्टी जमा करवा चुके है। कोई बकाया नहीं है। अपीलान्टस द्वारा जो द्वितीय अतिक्रमण मानकर निर्णय पारित किया गया है जबकि अपीलान्टस का कोई पश्चात्वर्ती अतिक्रमण नहीं है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज नहीं लिये जाकर अपीलान्टस को 90 दिवस की कारावास की सजा से दण्डित किया गया है .जो न्यायोचित नहीं है। अभिभाषक अपीलान्टस ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी.–2015 पेज 102, 103 पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्टस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्टस ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्टस को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्टस पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्टस ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिससे यह साबित नहीं होता है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है। अपीलान्टस बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्टस ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण कियां है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्टस द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्टस ने यह भी निवेदन किया है कि अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को विधिवत नोटिस दिया गया है जो बाद तामील

आते० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

पत्रावली में शामिल है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्टस को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलाधीन निर्णय व पटवारी रिपोर्ट व बयान में अंकित है तथा गत वर्ष बेदखल किये गये निर्णय व फर्द भौतिक रूप से बेदखल किये गये कि प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। जिससे अपीलान्टस पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्टस विवादित भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है तथा अपीलान्टस ने चरागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है। अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)